<u>आवश्यक/महत्वपूर्ण</u>

संख्या-01/2018/459/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2017-01/2008

प्रेषक,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय) **लखनऊ- दिनांक 09 जनवरी, 2018**

विषय- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ बेंच में लम्बित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 28-12-2017 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लख्नऊ बेंच में लम्बित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में बैठक की गयी। मा0 महाधिवक्ता की वेबसाइट के अनुसार मा0 उच्च न्यायालयों में लम्बित वादों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा अधिक संख्या में प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किये जाने की स्थिति उभर कर सामने आयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभाग समयबद्ध रूप से निम्नवत कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

(1) सभी विभाग अपने-अपने अनुभागों से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके अनुभाग में कोई मा0 न्यायालय का ऐसा आदेश लम्बित तो नही है जिसका अनुपालन अवशेष हो अथवा उसकी अपील, रिवीजन आदि कर स्थगन न प्राप्त कर लिया गया हो।

(2) समस्त विभाग 15 जनवरी, 2018 तक महाधिवक्ता कार्यालय की वेबसाइट (www.courtcases.up.nic.in) पर लम्बित वादों की अद्यतन स्थिति अपडेट कर लेंगे तथा 31 जनवरी, 2018 तक अवशेष वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) मा0 न्यायालय में जो भी प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जायें उसमें इस आशय का उल्लेख न किया जाय कि प्रकरण उस विभाग से सम्बन्धित नहीं है व ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर प्रतिशपथ पत्र, प्रकरण के अनुसार दाखिल करना सुनिश्चित किया जाय।

(4) मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में राज्य की ओर से प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करें कि दो विभागों द्वारा परस्पर विरोधाभासी प्रतिशपथ पत्र न दाखिल किये जायें। दो विभागों में मतान्तर की स्थिति होने पर उच्चतर स्तर पर विभागों द्वारा निर्णय कराकर समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाय।

(5) मा0 न्यायालयों में वादों में शासकीय अधिवक्ता की पैरवी की मानीटरिंग हेतु एक फीड बैक प्रारूप न्याय विभाग द्वारा तैयार किया जाय तथा विभागीय अधिकारी/सम्बन्धित पैरोकार द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट के समक्ष विभाग की स्थिति को मजबूती से प्रस्तुत किये जाने की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सूचना एवं शासकीय अधिवक्ताओं की प्रभावी कार्यवाई इत्यादि की सूचना न्याय विभाग द्वारा तैयार किये गये फीड बैक प्रारूप पर न्याय विभाग व प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या- 01/2018/459(1)/सात- न्याय-अनु0प्रको0/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)
विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।